संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : जन कल्याण परिषद
2. संस्था का पता : जन कल्याण परिषद
   बड़ा बाजार
   शमशाबाद, फर्रुखाबाद
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।
4. संस्था के उद्देश्य :

1. कार्य क्षेत्र में जन साधारण के लिए विकास करना।
2. कार्यक्षेत्र में धमार्थ, कमजोर वर्ग की सहायतार्थ विज्ञान कला प्रशिक्षण निशुःल्क औषधालयों पाठशालाओं की स्थापना करना व संचालन करना।
3. श्री गांधी दर्शन की भावनाओं को जागृत करना व संचालन करना।
4. कार्यक्षेत्र में रोजगार हेतु लघु उघोग एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा ग्रामोद्योगों योजनाओं के कार्यान्वय में सहयोग व प्रोत्साहन देना करना व प्रशिक्षण देना प्राप्त आय को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में व्यय करना।
5. जनता के हित के लिए कृषि का प्रोत्साहन, मुर्गी पालन डेयरी उद्योग, ऊर्जा संचालन,ईटा भट्टा उद्योग आदि कार्यो को चालाना, चलवाना, व प्रोत्साहन देना।
6. जन प्रिय सरकार की नीतियों के पालनाथ सहयोग करना।
7. ट्रइसेम, आर0डी0एक्स, निर्बल वर्ग स्वत रोजगार योजना उद्यामियता विकास आदि कार्यकमों को चलाना, प्रशिक्षण देना।
8. बाल विकास योजना, बालाहार, प्रौढ़ शिक्षा कार्य चलाना व बनाना तथा उक्त की सफलता हेतु कर प्रयास/कार्य करना।
9. महिलाओं विकलागों, सैनिकों एवं विस्थापिताओं को पुनर्वासित करना, प्रशिक्षण देता ग्रामद्योग लगाना व लगवाना तथा उससे सम्बन्धित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना।
10. अन्य कार्य जो समिति एवं समाज के हित में है तथा सोसाइटीज व रजिस्टेशन एक्ट की धारा 20 के अर्न्तगत आते हो कार्य करना।

1. **उद्यमिता विकास के कार्यकमः–**

1. इस संस्था का मुख्य उद्देश्य कार्यक्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों में उद्यमियता विकास के अवसरों को सृजित करना। उन्हें रोजगार के लगाने हेतु तकनीकी एवं प्राविधिक विषयों प्रयोंगात्मक ज्ञान करना। ऐसे युवक/युवतियां जिन्हें सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा वित्तीय योगदान दिया हो सक्षम अधिकारियों एवं विभामोध्यक्षो की अनुमति व आज्ञा से विभिन्न पाठयकमों व्यवसायों एवं व्यवसायिक शिक्षा के अर्न्तगत विविध जानकारियॉ कराना। इसके लिए शिवारों सम्मेलनों गोष्ठियों का आयोजन कराना तथा प्रशिक्षण केन्द्रो को खोल्ना व चलाना।
2. ऐसी योजनाओं कार्यकमो व वोकेशनल ट्रेंनिग केन्द्रों को स्थापित करना जिसके मध्यम से बेरोजागारो को स्वावालम्बन व आत्म निर्भरता का वातावरण मिल सके और स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो सकें। जैसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण, टाईपिंग एवं शाटहैण्ड प्रशिक्षण, रेडीमेट गारमेण्ट, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटीसियन कोर्स, सहित समस्त मान्यता प्राप्त तकनीकी पाठ्यकम।
3. खादी ग्रामोद्ययोगी तकनीकी ज्ञान, ततसम्बन्धी प्रशिक्षण, ग्रामोद्ययोगी इकाइयों की स्थापना इत्यादि।

2. **शैक्षिक कार्यकमः–**

1. शिक्षा के प्रचार –प्रसार के लिए कार्य करना। इस हेतु प्राइमरी, प्रर्व प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल,

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल, कानपुर

1. क्षेत्र के बेसहारा अनाथ बच्चों व व्यक्तियों के लिए भोजन, निःशुल्क आवास आदि की व्यवस्था करना अनाथालय खोलना।
2. केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की सरकारी संस्थाओं/विभागों से शहर व ग्रामीण क्षेत्र में जनहित का कार्य कराने में सहयोग करना। इस हेतु सासंद निधि, विधायक निधियों से ग्रामीण का अविकसित क्षेत्र में विकास एवं सहयोग लेना।
3. जन साधारण के लिए कल्याणकारी कार्य एवं रचनात्मक, कलात्मक, एवं ग्रानोद्योगी सेवाओं को उपलब्ध कराना। और संस्था के कार्य क्षेत्र में आने वाले कारीगरों, निर्धनों गरीबीरेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों अनुसूचित जाति जनजातियों विकलांगो विधवाओं एवं निराश्रितो को आत्म निर्भर बनाने हेतु रोजगार के अवसरो का सृजन करना व कराना। उनके लिए कच्चे माल की व्यवस्था करना एवं इस कार्य में उनका पूर्ण सहयोग करना।
4. स्वास्थ्य एवं मातृ शिशु कल्याण पर्यावरण सुरक्षा उपभोगता जागरुकता, विवध सहायता बालश्रम, उन्मूलन यातायात जागरुकता, कृषि एवं ग्रामीण विकास, वन्य जीवन संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण मद्यनिषेध पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास धार्मिक साम्प्रदायिक सहिष्णुता, दैवी एवं प्राकृतिक आपदा, आयोत्पादक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रो इत्यादि हेतु यथानुसार कार्य योजनाओं को विभिन्न विभागों से लेकर संचालन प्रबन्धन एवं अनुरक्षण करना तथा ऐसे समस्त प्रयास करना जिससे हर वांछित वर्ग लाभान्वित हो सकें।
    1. पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी जन मानस को देना तथा पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण के उपायों को बताने में मदद करना तथा ऐसे कार्यकमों कार्य योजनाओं को कियान्वित करना व कराना जिनसे पर्यावरण सुरक्षा का संवर्द्धन हो सके।
    2. प्रदूषित वायु एवं जनतत्वों की जानकारी रखना और समस्याग्रस्त क्षेत्रों का पर्याप्त परीक्षण करना।
    3. प्रदूषित के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन तैयार करना तथा निम्न के सम्बन्ध में सुझाव देना/तैयार करना । जैसे नदी, झील, शहर व कस्बा औद्योगिक क्षेत्र भू सम्पत्ति संवेदनशील क्षेत्र।
    4. जन तथ्यों एवं स्थितियों पर रिपोर्ट तैयार करना जिनमें विभिन्न करके उन्हें नियंत्रित कर पर्यावरण प्रदूषण तथा खतरनाक अवशेषों की जानकारी सामिल हो इस हेतु आकर्षक साहित्य का निर्माण करना उनके द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने सम्बन्धी उपायों का प्रचार प्रसार करना।
    5. अत्याधिक जोर से लाउडिसपीकर बजाना, अवशिष्टको का विभिन्न नदी स्रोत्रो मे प्रवाह करना, कूडा करकट फेलाया जाना, पोलीथीन का प्रयोग करना आदि के सम्बन्ध में जन चेतना उत्पन्न करना। शिविरो सम्मेलनो गोष्ठियों एवं सेमनारो का आयोजन कराकर जन चेतना उत्पन्न करके उन्हें नियंत्रित कर पर्यावरण प्रदूषण को विराम देने का प्रयास करना। पर्यावरण सुरक्षा हेतु शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति के उपरान्त गांवो कस्बों सड़को के किनारे पार्को के किनारे तथा अनुपाजाऊ भूमि पर वृक्षारोपण करना तथा उनकी सुरक्षा के उपाय करना।
    6. वनो की मानव प्राणी जीवन में उपयोगिता तथा इससे सम्बन्धित साहित्य सामग्री व अन्य रोचक तथ्यों की सकारात्मक जानकारी जनता को देकर उसे वन सुरक्षा एवं सरंक्षण के लिए तैयार करना।
    7. विकलांगो के कल्याणार्थ कार्यकम–
    1. विकलांगो को समाज में समुचित व सम्मानजनक स्थिति में लाने हेतु उन्हे स्वावलम्बी बनाना उन्हे साक्षर व तकनीसियन बनाने हेतु विकलाग विद्यायालय, विकलांग आवासीय विद्यालय/विकलांग छात्रावास आदि की व्यवस्था करके उनके शिक्षण प्रशिक्षण आवास भोजन स्वास्थ्य परीक्षण आदि की समुचित व्यवस्था करना।
    2. मूक एवं बधिर विद्यालयों की स्थापना करना।
    3. विकलांगो के लिए कत्रिम अंगों व विकलांग उपकरणों का मुफत वितरग करना व कराना।
    8. विविधः–

    संस्था के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार के विभिन्न विभगो से योजनाओं व कार्यकमों को लेना। उनके लिए विभिन्न विभागों में आवेदन प्रत्यावेदन देना तथा उनके कियान्वयान हेतु आवश्यकतानुसार विभागों से वित्तीय सहायताएं लेना।

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल, कानपुर

9 कारीगरों एवं तकनीसियन आदि की शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिलाने का प्रबन्ध करके ग्रामोद्योग की स्थापना के प्रयास करना ताकि वे स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हो सकें।

10 बाल विकास महिला कल्याण तथा बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए टीकाकरण तथा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कराना।.

11 निराश्रित एवं साधनहीन महिलाओं एवं लड़कियों के लिए अल्पकालीन निवास (शार्ट कट होम) की स्थापना करना उन्हें प्रश्रय प्रदान करना तथा उनकों रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर पुर्नवासित करना व कराना।

12 महिलाओं व लड़कियों के प्रति अत्याचार के विरुद्ध संगठित करना, महिला कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनैतिक हरकतों एवं शोषण के विरुद्ध जनजागृति उत्पन्न करना। कामकाजी महिलाओं के लिए उचित वातावरण तैयार करने हेतु उपयोगी ज्ञान का प्रचार शिविरो, सम्मेलनों, गोष्ठियों के माध्यम से सामाजिक जागृति लाकर उनको ससम्मान जीवनयापन के अवसरो को सृजन कराना।

13 अल्पसंख्यको का शैक्षिणिक आर्थिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना तथा उपयुक्त वातावरण निर्माण हेतु उपयोगी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना।

14 समाज में विज्ञान के लोकप्रिकरण व विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु गोष्ठियों एवं प्रदर्शनियो का आयोजन करना तथा समाज में विज्ञान के प्रति जागरुकता पैदा करना तथा वैज्ञानिक अविष्कार उन्नयन हेतु सरकार द्वारा आयोजित योजनाओं व कार्यकमों का संचालन प्रबन्धन व अनुरक्षण करना।

4. **रोजगारपरक एवं ग्राम्यविकास पर आधारित कार्यकमः–**

1. उ0प्र0राज्य खादी बोर्ड एवं अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (कमीशन) द्वारा घोषित इकाइयों एवं कार्यकमों को अपनाना संचालित इकाइयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करना संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खादी बोर्ड/खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से सहायता एवं सहयोग लेकर ग्रामो में रोजगार के अवसरो का सृजन करना। खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास हेतु उनकी नीतियों योजनाओं व कार्यकमों का प्रचार प्रसार, कारीगरो को ग्रामोद्योग आदि की शिक्षा तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण दिलाने का प्रबध करके ग्रामोद्योग की स्थापना के प्रयास करना ताकि क्षेत्र के बेरोजगारो को रोजगार मिल सके और वे स्वावलम्बन की ओर अग्रसार हो सके। खादी ग्रामोद्योगी हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय/कन्या व महिला इण्टर कालेज/डिग्री कालेज को खोलना व चलाना। आवासीय को विद्यायलय, विकलांग विद्ययालय खोलना व चलना।
2. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यकों व गरीबी रेखा के नीचे यापन कर रहे परिवारों को व उनके आश्रित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।
3. बालश्रम विद्यायालय खोलना व चलाना।

2. तकनीकी एवं प्राविधिक शिक्षाः–

1. शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों के लिए तकनीकी एवं प्राविधिक शिक्षा के अर्न्तगत प्रशिक्षण केन्द्रो को खोलना व चलाना। इस हेतु विभिन्न विभागों से योजनाओं व कार्यकमों को लेना व चलाना।
2. अनौपचारिक प्रौढ़ व तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षण एवं शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु सभी प्रकार की कार्य योजना के संचालन हेतु स्कूल कालेज व प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना प्रबन्धन एवं अनुरक्षण करना।
3. युवा वर्ग के व्यवसायिक कौशल, शारीरिक, आर्थिक बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, चारित्रक, शैक्षिक विकास एवं उत्थान तथा राष्ट्रीय एकता एकीकरण, सामाजिक सहभागिता एवं युवा नेतृवत परिपेक्ष्य में समस्त प्रकार की कार्य योजनाओं का संचालन प्रबन्धन एवं अनुरक्षण करना।
4. महिला बाल युवा प्रौढ़ विकास कार्यकम विज्ञान शिक्षा एवं निःशुल्क प्रशिक्षण कला कौशल का विकास हेतु सिलाई कढ़ाई कताई, बुनाई गृहशिल्प दस्तकारी कम्प्यूटर प्रशिक्षण, टाईप एवं शार्टहैण्ड प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
5. समाज में शैक्षिक स्तर बढ़ाने हेतु शिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना तथा उन्हें संचालित करना। तथा प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को पुर्नवासित एवं रोजगार में लगाना।
6. आंगनवाड़ी, बालवाड़ी प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा तथा टाईमसेम योजना के अर्न्तगत कार्यकमों का संचालन करना ।

3.बाल एवं महिला कल्याण के कार्यकमः–

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल, कानपुर

17. लोक संगीत एवं भारतीय संस्कृति की सुरक्षा संवर्द्धन हेतु सास्कृतिक कार्यकमों का आयोजन करना तथा इन कलाकारों को सृजित व सुरक्षित करना।

5–सामाजिक एवं स्वास्थ्य कार्यकमः–

1. भारतीय भाषाओं, साहित्य, प्राचीन संस्कृति, लोक परम्पराओं पुरातत्वावेश, नैतिक मूल्यों शिल्प कलाओं रीति रिवाजो के उत्थान जनक संरक्षण परक व्यवस्थित कार्ययोजनाओं हेतु भौतिक प्रयास का कियान्वयन संरक्षण व प्रबन्धन करना।
2. वृद्धजनों के हितो के प्रति जागरुक रहना। उनके कल्याण हेतु वातावरण तैयार करना तथा परिवार से तिरस्कृत वृद्धजनो के लिए वृद्धाश्रम स्थापित कर उनके स्वस्थ्य मनोरंजन, भोजन स्वास्थ्य सुरक्षा देख–रेख आदि की समुचित व्यवस्था करना।
3. समाज में फेली कुरीतियों विकासात्मक एवं उत्थानपरक अवरोधो को दूर करने एवं समूल नष्ट करने हेतु उपयोगी ज्ञान का प्रचार प्रसार सामाजिक जागरुकता, तत्सम्बन्धी समस्त प्रकार के कार्यकमों का आयोजन व संचालन करना।
4. नशा मुक्त समाज का निर्माण करना इसके दुष्प्रचार के प्रभाव से जनमानस को जागृत करना नशा मुक्त समाज की स्थापना करना शिविरों सम्मेलनों गोष्ठियों एवं सेमिनारों का आयोजन कर नशे के विरुद्ध वातावरण तैयार करके समाज को जागरुक बनाना।
5. समाज में व्याप्त छुआछूत मद्यपान दहेज प्रथा, अन्धविश्वास, निरक्षरता बाल विवाह भ्रूण परीक्षण आदि कुप्रथाओं को नष्ट करने हेतु जन चेतना जागृत करना।.
6. स्वास्थ्य एवं नेत्र चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना धर्मार्थ चिकित्सालयो, औषधालयों को खेलना मोबाइल डिसपेन्सरी के माध्यम से अति पिछड़े हेतु क्षेत्रो में निशुल्क स्वाथ्य सुविधाए उपलब्ध कराना।
7. कुष्ठ उन्मूलन, परिवार कल्याण, पल्स पोलियों एड्स कार्यकमों का संचालन व प्रसार करना ।
8. जैवविविधता को संरक्षण व बढ़ावा देना जन–जन तक पहुंचाने हेतु सेमिनारों एवं गोष्ठियों का आयोजन करना कराना।
9. पूरे कार्यक्षेत्र में गैर सरकारी अर्द्ध सरकारी एवम् सरकारी विभागों में मैन पावर की आपूर्ति करना प्रशिक्षण देना व रोजगार उपलब्ध करना व संचालन करना प्राप्त आय को सामाजिक विकास कार्यो में व्यय करना।
10. नागारिक सुरक्षा एवं अग्निशमन यंत्र का प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कराकर नागरिकों को इसकी जानकारी देना।
11. राष्ट्रीय पर्वो एवं त्यौहारों पा कार्यकमों का आयोजन कराना।
12. महापुरुषों की जयन्यतीयों पर कार्यकम आयोजित कर उन्हें परम्मपरागत ढंग से मनाना।
13. सूखा महामारी,दैवी आपदाओं से पीडित लोगों के मध्य में राहत कार्यकम चलाना उनके पुर्नवसन हेतु समुचित व्यवस्था करना।
14. वन्य जीवों से प्रेम करना तथा उनकी विलुप्त हो रही प्रजातियों के बचाव हेतु उपाय करना

6– पर्यावरण

5 समाज में हर आयु जाति धर्म एवं सम्प्रदाय एवं वर्ग हेतु शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्यायधिकार एवं जागरुकता विकास के परिपेक्ष्य में आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक, शौक्षिक, शरीरिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु समस्त प्रकार की आयोजित प्रायोजित कार्य योजनाओं का संचालन प्रबन्धन एवं अनुरक्षण करना।

6 वृद्व, विकलांग, मानसिक रुप से कमजोर , विधवा, पतिता, पारित्यक्तता, समाज शोषित, निराश्रित, कुष्ठ रोगियों, अनाथ, मुक्त हुए बाल श्रमिकों, देह व्यापार से मुक्त हुई महिलाओं एवं उनके बच्चों झुग्गी, झोपड़ी में निवास करने वाले, संसाधन विहीन परिवारों एवं भिक्षुओं के उत्थान, पुर्न वापान एवं समग्र विकास हेतु कार्य योजनाओं का संचालन प्रबन्धन एवं अनुरक्षण करना ।

7 महिलाओं को स्वावलम्बी व आत्म निर्भर बनाने हेतु महिला विकास कार्यकम, प्रौढ़ महिला शिक्षा (सी0सी0) महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण, (वी0टी0)की व्यवस्था करना व ऐसी योजनाओं कार्यकमों को लेना व चलाना।

8 गांधी विचारधारा के अर्न्तगत साहित्य का प्रचार एवं प्रसार एवं जनजीवन को रचनात्मक कार्यो की ओर अग्रसर करने का प्रयास करना। निर्धन एवं असहाय छात्र छात्राओं को ग्रामोद्योग आदि की ओर अग्रसर करने का प्रयास करना। निर्धन एवं असहाय छात्र छात्राओं को ग्रामोद्योग आदि की शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिलाने का प्रबन्ध करना ताकि वे स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हो सके।

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल, कानपुर

वस्तुओं का उत्पादन एवं बिकी भण्डारन आदि के केन्द्रो की स्थापना करना तथा अर्जित आय को संस्था में लगाना एवं अन्य चौरिटेबिल कार्यों में व्यय करना।

2. ग्रामीय समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना समान उद्देश्यों तथा सम्बन्धित कार्य क्षेत्र वाली सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क रखना, सहयोग लेना व देना।
3. चारा, घास, ईधन, आदि का उत्पादन करना।
4. भू-क्षरण रोकना, भूमि में बायोमास बढ़ाकर भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना।
5. क्षेत्र बांदों, नालो, प्रचालन टेन्क, चैक डेम-वानिकी और पौधारोपण कार्यकमों से नालियों और क्यारियां बनाने सम्बन्धी मिट्टी के कार्य तथा वृक्षो को लगाना।
6. कृषि वानिकी को बढ़ावा देना।
7. बागवानी, फुलवानी आदि को कृषि के क्षेत्र में प्रोत्साहन देकर कृषि को व्यवसायिक रुप में अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना तत्सम्बन्धी वातावरण तैयार करना। आयुवेदिक जडीबुटियों का उत्पादन करना शोध करना तथा उनका प्रशिक्षण देना। ग्रामीण क्षेत्रों में रेशम कीट पालन कराना तथा इससे जुड़े कियाकलापों में सहभागिता करना। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा विश्वबैंक द्वारा रेशम उद्योग के विकास सम्बन्धी चलायी जा रही योजनाओं कार्यकमों में भागीदारी लेना।
8. फल सब्जी, (प्रिजरवेशन) संरक्षण, मांस मछली संरक्षण, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, डेरी इत्यादि प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना व संचालन करना।
9. गंवो में शहर की ओर पलायन समस्या व निदान ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या व निदान कृषि क्षेत्र की समस्या और उनके निदान, पंचायतीराज व्यवस्था आदि पद विचार गोष्ठियों सेमिनारों का आयोजन करना कराना। उपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा इस हेतु सरकारी एवं जनसहयोग को प्राप्त करने के प्रयास करना।
10. बेरोजगार एवं शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए प्रशिक्षण देकर लघु उद्योगो की स्थापना के लिए तैयार करना व उन्हें वित्तीय संसाधन प्राप्त करने सम्बन्धी शासन प्रशासन की नीतियों योजनाओं व कार्यकमों की जानकारी कराना।
11. ग्रामीण समाज के लोगो को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने हेतु रोजगार के अवसरो का सृजन करना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कृषि की वैज्ञानिक तकनीक आधुनिक उपकरणों वैज्ञानिक कृषि संयत्रों के प्रति प्रोत्साहन व पशुपालन ग्रामोद्योग तथा अन्य सेवाओं के लिए विस्तृत योजनाएं बनाना तथा सरकार द्वारा संचालित ऐसी योजनाओं कार्यकमों से लाभान्वित कराना।
12. समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 केन्द्रीय राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, सिप्सा अवार्ड, नवार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालस यूनीसेफ इत्यादि के सहयोग से महिलाओं एवं बाल विकास कार्यकमों, ग्रामीण विकास परियोजनाओं का प्रचार प्रसार एवं संचालन करना एवं उन्में फेलोशिप प्राप्त करना।
13. मशरुम की खेती एवं प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था व प्रचार प्रसार करना।
14. समाज के हर आयु जाति धर्म एवं समुदाय के लोगों में अल्पबचत की भावना का विकास प्रचार प्रसार एवं भौतिक कियान्वयन करना इस हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन विकास एवं उन्हें समस्त प्रकार के मार्ग दर्शन एवं भौतिक सहयोग प्रदान करना।
15. मानसिक, शैक्षिक वैज्ञानिक बौद्विक, तकनीकी, सांस्कृतिक आर्थिक एवं ग्रामीण विकास स्वच्छ पेयजल इत्यादि के क्षेत्र में समाज के हर व्यक्ति जाति धर्म समुदाय के लोगों हेतु प्रशिक्षण सर्वेक्षण अनुसंधान तथा समस्त भौतिक उन्नतिवादी कार्य योजनाओं का सम्पादन करना तथा उक्त विषयक

जगरुपता विकास हेतु परामर्श पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा उसके आंकड़े, रिपोर्ट समीक्षा इत्यादि जानकारी विभिन्न संचार माध्यमों से जन तक पहुचाना।

16. समाज देश व ग्रामीण क्षेत्रों में खेल संस्कृति को सुदृढ़ करना ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के प्रति सामुहिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास एवं जागरुपता का विकास करना ग्रामीण खेल प्रतिभाओ को अवसर प्रदान करना तथा उनके भरण पोषण की व्यवस्था करना। अनुसूचित जातियों, जनजातियों पिछड़ा जातियों में खेल किया कलापों हेतु रुचि उत्साह जागरुपता पैदा करना एवं संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

सत्य-प्रतिलिपि।

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल, कानपुर